न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय, सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री अनिल कुमार (आर.ए.एस. यू.टी.)

.प. संख्या 72/2017

रामलाल बनाम मेगाराम

आवेदन बाबत नियुक्त किये जाने मौका कमिश्नर

उपस्थित वकील प्रार्थीगण – श्री अनुराग माथूर
वकील अप्रार्थीगण – श्री सागरमल धायल

निर्णय

दिनांक – 13.01.2020

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त किये जाने मौका कमिश्नर का प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम झीगर छोटी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 354, 429, 530, 532, 840, 842, 1008, 1009 व 1016 किता 9 कुल रकबा 13.08 है0 अवस्थित है। जिसमें से खसरा नम्बर 1008 व 1009 पर वादी पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त है। वादी के कब्जे काश्त के खसरा नम्बर का नुमाईशी विक्रय पत्रके आधार पर कब्जा करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण संख्या बल में ज्यादा होने के कारण तथा रिकार्ड में गलत खातेदारी होने कारण वे उसे बेदखल करने पर आमादा है। अतः विवादित स्थल की वास्तविक /भौतिक स्थिति रिकार्ड पर लेने के लिये मौका निरीक्षण करवाकर रिकार्ड पर लिया जाना प्रार्थनीय है ।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई । बहस के दौरान तर्क किया कि विवादित भूमियां हमारी खातेदारी की भूमियां है। प्रार्थी व उसके परिवारजनों के नाम अन्य भूमियां है। मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने का आवेदन मात्र प्रकरण को लम्बित रखने के लिये प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदन खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार भी विवादित भूमियां अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही है। प्रार्थी को यदि मौका निरीक्षण की आवश्यकता थी तो प्रार्थी पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता था परन्तु प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्रावली में अंतिम

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण को लम्बित रखने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त किये जाने मौका कमिश्नर का तथ्यहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 13.01.2020 को सुनाया गया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

अन्तिम एक पक्षीय निषेधाज्ञा										प्राथमिक डिक्री									
वादी	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	स्थगन प्रतिवादी	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय, सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री अनिल कुमार (आर.ए.एस. यू.टी.)

वा.प. संख्या 72/2017

1. रामलाल पुत्र मालु जाति जाट निवासी झीगर छोटी तहसील धोद जिला सीकर

– प्रार्थी –

बनाम

मेगाराम पुत्र गोमाराम
गजाधर पुत्र गीदाराम
राजेन्द्र कुमार पुत्र गणपतराम
मनकोरी देवी पत्नी गणपतराम
धापू देवी पत्नी मेगाराम
रामेश्वर पुत्र खुमाराम (फौत)
1. श्रीमति मोंहनी पत्नी स्व0 रामेश्वर
2. प्रमोद पुत्र स्व0 रामेश्वर
3. सुभिता पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नी निवास जाति जाट नि0 जेरठी तह0 धोद जि. सीकर
4. मंजू पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नी मूलचंद जाति जाट नि. दिनारपुरा जिला सीकर
5. अनिता पुत्र स्व0 रामेश्वर पत्नी ताराचंद जाति जाट नि. दिनारपुरा जिला सीकर
6. छोटी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नी विजयपाल जाति जाट नि. डूडवा तह0 लक्ष्मणगढ

जिला सीकर

अमचंद गढवाल पुत्र पीथाराम जाति जाट नि. झीगर छोटरी तह0 धोद जि. सीकर
श्रीमती मधु आर्य पत्नी अनीष आर्य जाति जाट नि. कुड़ली तह. व जिला सीकर
पंजाब नेशनल बैंक शाखा रवसीदपुरा जिला सीकर
सीकर केन्द्रीय सहाकारी ब।क शाखा सुरजपोल गेट, सीकर
बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा फतेहपुर रोड़ सीकर
तहसीलदार धोद जिला सीकर
उप पंजीयक सीकर
उप पंजियक, धोद जिला सीकर

– अप्रार्थीगण –

आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित वकील प्रार्थीगण – श्री अनुराग माथूर
वकील अप्रार्थीगण – श्री सागरमल धायल

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

निर्णय

दिनांक –

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का मय वाद के प्रस्तुत किया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम झीगर छोटी तहसील धोद की तन में खसरा नम्बर 354, 429, 530, 532, 840, 842, 1008, 1009 व 1016 किता 9 कुला रकबा 13.08 है0 अवस्थित है। जिमसें प्रार्थी खसरा नम्बर 1008 व 1009 में काबिज काश्तकार है। ख. नं. 1008 व 1009 पर काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से प्रार्थी व उसके पूर्वजों का कब्जा काश्त चला आ रहा है और अब भी प्रार्थी ही काश्त करता है। उक्त भूमियों पर अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा । सहवन व साजिशी तौर से अप्रार्थीगण के पूर्वजों का नाम दर्ज हो गया । कानूनन 12 वर्ष से अधिक की अवधि से कब्जे के बाहर रहते हुऐ कब्जा प्राप्ति के लिये कोई कार्यवाही नहीं की, इस कारण उनका अधिकार भी कानूनन समाप्त हो चुका है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से सम्पर्क किया तो उन्होने रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आश्वासन दिया किन्तु आज तक कोई संशोधन नहीं करवाया तथा बाद में इनकार कर दिया । अप्रार्थीगण बलात् कब्जा करने व भूमि को विक्रय करने की कुचेष्टा में है। इसलिये अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ है तथा सुविधा का संतुलन व असीमित क्षति का मामला भी प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 2 व 6 ने जवाब पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 1008 व 1009 पर प्रार्थी का तथा उसके पूर्वजों का कब्जा काश्त होने की बात गलत है। वर्तमान में इन खसरा नम्बर पर कब्जा व अधिकार गजाधर उर्फ गंगाधर, राजेन्द्र, मनकौरी देवी, रामेश्वर व मृतक बोदूराम के कब्जे अधिकार की भूमि रही है। अप्रार्थी संख्या 4 मनकोरी ने भूमि खसरा नम्बर 1008, 1009, तथा अन्य खसरा नम्बर में से अपना 1/15 भाग जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.5.2008 से विक्रय कर कब्जा अप्रार्थी संख्या 5 धापूदेवी को संभलाया है। जिस पर वह काबिज काश्त है। मृतक बोदूराम के वारिसान ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.10.1998 को विक्रय कर कब्जा क्रेता मेगाराम को सम्भला दिया जो आज काबिज खातेदार है। सजरा खानदान भी गलत पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 6 ने अपना 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण अमरचन्द गढवाल व श्रीमती मधु आर्य को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 13.9.17 को कर दिया तथा कब्जा उन्हे सम्भला दिया । प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थीगण कब्जे से 12 वर्ष से भी अधिक समय से बाहर होने का तथ्य सर्वथा गलत है। विवादित आराजियात का राजस्व रिकार्ड सही दर्ज हुआ है जिसकी जानकारी प्रार्थी को शुरू से ही रही है। प्रार्थी के हक अधिकार कोई होते तो वह विक्रय के बाद ही विक्रय पत्रों को चुनौती देता। लेकिन आज तक कभी चुनौती नहीं दी गई है। अतः प्रार्थी आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1, 3 से 5 ने भी जवाब

उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) सांकर

प्रस्तुत किया । जिसमें उन्होने अप्रार्थी संख्या 2 व 6 के तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि विवादित आराजियात के पुराने खसरा नम्बर 131,435, 479, 491, 494 व 415 किता 6 कुल रकबा 50 बीघा 9 बिस्वा थे जो उनके पूर्वज माना पुत्र बींजा के हक में प्रथम पैमाईवस में ही अलग रहने से खातेदारी अलग दर्ज हो गई थी। उसके बाद माना से मूना के व मूना की मृत्यु पर जरिये विरासत गीदा, खुमा व बोदू को बहिस्सा बराबर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुऐ इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। द्वितीय पैमाईस अर्सा 20–25 वर्ष पूर्व हुई है व पर्चे मजमे आम में प्रदर्शित किये गये है यदि प्रार्थी को कोई हक अधिकार होता तो आपत्ति अवश्यक करता। लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं की जिससे साबित होता है कि उसके कभी कोई हक अधिकार विवादित भूमियों पर नहीं रहा। अतः आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 11 व 12 ने भी जवाब प्रस्तुत कर अप्रर्थीगण संख्या 1 ता 6 कथनों को दोहराते हुऐ कथन किया कि वे अपनी क्रय शुदा भूमि पर काबिज काश्त है। आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 9 ता 14 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

प्रकरण में बहस वकील उभय पक्ष सूनी गई जो मुताबिक आवेदन व जवाब आवेदन रही। हमने बहस पर बगौर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है –

प्रथम दृष्टया मामला – पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबंदी सम्वत 2070 से 73 में ग्राम झीगर छोटी के खसरा नम्बर 354, 429, 530, 532, 840, 842, 1008, 1009 व 1016 किता 9 कुला रकबा 13.08 है0 की खातेदारी मेगाराम पुत्र गोमाराम हि. 4/15 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा रसीदपुरा मूर्तहीन, गजाधर पुत्र गीदा हि0 1/3 राहिन सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. शाखा सूरपोल सीकर मूर्तहीन, गणपत पुत्र खूमाराम हि. 1/6 राहिन कोटक महिन्द्रा बैक लि. जयपुर मूर्तहीन, धापूदेवी पत्नी मेधाराम हि. 1/15, रामेश्वर पुत्र खूमाराम हि. 1/6 जाति जाट सा. देह के नाम दर्ज है। उक्त जमाबंदी में नामा. संख्या 1147 दि. 5.3.2014 विरासत से गणपत के स्थान पर राजेन्द्र कुमार, केशरदेवी, परमेश्वरी देवी पि. गणतराम, मनकोरी पत्नी गणपतराम हि0 1/6, नामा0 संख्या 1163 दिनांक 26.6.14 से इनका हिस्सा रहन मुक्त होने का, नामा0 संख्या 1173 दिनांक 20.8.14 से हक त्याग से केशर देवी , परमेश्वरी देवी के बजाय राजेन्द्र कुमार पुत्र गणपतराम , मनकोरी पत्नी गणपतराम के नाम व नामा. संख्या 1200 दिनांक 3.12.14 से धापू देवी को रहन का नोट लगा हुआ है। प्रार्थी के सजरा खानदान के अनुसार उनका पूर्वज बीणाराम था जिसके तीन पुत्र काना, दूलाराम व बींजाराम थे। प्रार्थी काना के पुत्र मालू का पुत्र है। प्रार्थी द्वारा अपने पूर्वजों के नाम से जमीन होने को कोई दस्तावेज इस पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 354 गत

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

खसरा नम्बर 131 से, 429 गत 435 से, 530 गत 479 से, 532 गत 479 से, 840 गत 415 से, 842 बत 415 से 1008 गत 491 से एवं 1009 गत खसरा नम्बर 491 से बनना प्रमाणित है। सम्वत 2021 से 2024 की जमाबंदी के अनुसार गत खसरा नम्बर की खातेदारी मुना पुत्र बींजा कोम जाट सा. देह के नाम से दर्ज है। सम्वत 2028से 2031 में बोदुराम पुत्र मानाराम हि0 1/3 व गीदा, खुमा पि. बंजी हि0 2/3 जाति जाट सा. देह ब.हि.बराबर के नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 2014 में गत खसरा नम्बर 131 में माना वल्द बींजा, 479 में माना वगैरह काश्त मूना पुत्र माना, 415 व 491 में माना पुत्र बींजा दर्ज है। इसी प्रकार सम्वत 2013 से 2016 में दर्ज है। सम्वत 2029 से 2032 में बोदू वगैरह दर्ज है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात की खातेदारी अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम से रही है। अप्रार्थी संख्या 4 मनकोरी ने भूमि खसरा नम्बर 1008, 1009, तथा अन्य खसरा नम्बर में से अपना 1/15 भाग जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.5. 2008 से विक्रय अप्रार्थी संख्या 5 धापूदेवी को मृतक बोदूराम के वारिसान ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.10.1998 को विक्रय मेगाराम को की है। प्रार्थी ने उक्त विक्रय पत्रों को चुनौती नहीं दी है। अप्रार्थीगण लगातार विवादित भूमियों के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार से प्रार्थी का विवादित भूमियों के सम्बध में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन – प्रार्थी की खातेदारी पूर्वजों के समय से प्रमाणित नहीं होने के कारण व कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं होने के करण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

अपूरणिय क्षति – उपर्युक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी को किसी प्रकार से अपरूरणीय क्षति नहीं हो सकती है।

आज्ञा

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. विवादित बाबत भूमि ग्राम झीगर छोटी तहसील धोद जिला सीकर के खसरा नम्बर 354, 429, 530, 532, 840, 842, 1008, 1009 व 1016 किता 9 कुल रकबा 13.08 है0 का अस्वीकार किया जाता है।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर